न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–37/2024 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय–19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

––प्रार्थी

वनाम

1. प्रमीत कुमार पुत्र श्री छवीलाराम जाति धानक पता–वार्ड नं0 1, गांव ललानावास दिखनादा, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ एवं प्रमीत पता– पट्टा नं0 45, वार्ड नं0 1,ग्राम पंचायत ललानावास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––मूल ऋणी, बंधकग्रहिता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश **दिनांकः–26.06.2024**

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज कुमार शाखा हनुमानगढ़ की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने दिनांक 29.02.2020 को 'लोन एग्रीमेन्ट' सं0 L9001060121786102 के तहत 2,00,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। ग्राम पंचायत ललाना दिखनादा पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं0 45 पैमाईशी 1210 वर्गफुट अर्थात 134 वर्गगज गांव ललाना दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि दिनांक 05.07.2017 को प्रमीत कुमार पुत्र श्री छवीलाराम जाति धानक निवासी वार्ड नं0 1, गांव ललानावास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड को उप पंजीयक रामगढ़ द्वारा प्रमीत कुमार पुत्र छवीलाराम के पक्ष में दिनांक 27.10.2017 को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार प्रमीत कुमार पुत्र छवीलाराम जाति धानक निवासी–वार्ड नं0 1, गांव ललानावास दिखनादा, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ उक्त आवासीय भूखण्ड पैमाईशी 1210 वर्गफुट अर्थात 134 वर्गगज का एकल स्वामी है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/वंधक/आडमान किया।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 10.09.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिकम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में वकाया राशि 1,49,241/– (अक्षरे एक लाख उन्चास हजार दो सौ इक्तालिस रूपये) वकाया रकम, ब्याज, शास्ति व अन्य खर्चे दिनांक 12.09.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 14.09.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस को दिनांक 18.09.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति ग्राम पंचायत ललाना दिखनादा पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं0 45 पैमाईशी 1210 वर्गफुट अर्थात 134 वर्गगज गांव ललाना दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि दिनांक 05.07.2017 को प्रमीत कुमार पुत्र श्री छबीलाराम जाति धानक निवासी वार्ड नं0 1, गांव ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested